

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी:- रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.- 280/19 दायरा दिनांक :-09.09.19 पर्चा डिक्री दिनांक :- 03.03.2021

1. राजेन्द्र प्रसाद
2. महिपाल पुत्रान बिहारीलाल
3. मामली पुत्री श्री बिहारीलाल
4. ललीता पुत्री श्री बिहारीलाल
5. लदूर पुत्र श्री लालजी
6. बनवारीलाल पुत्र श्री बूलाराम
7. छंगाराम पुत्र श्री बूलाराम जातियान अहीर निवासीयान तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

.....वादीगण


बनाम

1. लालमन पुत्र श्री तोताराम
2. थावर पुत्र श्री लालमन
3. प्रकाश पुत्र श्री लालमन
4. सुभाष पुत्र श्री लालमन
5. भीम पुत्र लालमन जातियान अहीर निवासीयान श्योंपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।
6. रामनिवास पुत्र श्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी हाल बहरोड तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

.....प्रतिवादीगण

7. ओमप्रकाश
8. रतनलाल
9. धर्मवीर
10. बलवन्त
11. हसंराज पुत्रान श्री कालूराम
12. लल्लुराम पुत्र श्री बालाराम
13. ताराचन्द पुत्र श्री चन्दर
14. इन्द्रजीत पुत्र श्री रामनाथ
15. विष्णु पुत्र श्री रामनाथ
16. मातराम पत्रु श्री मुखराम
17. मनोज कुमार पुत्र श्री रंगराव
18. कृष्ण कुमार पुत्र श्री रंगराव
19. जगन्नाथ
20. राजाराम
21. फूलसिंह पुत्रान श्री परतराम जातियान अहीर निवासीयान तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
22. लच्छोमल पुत्र श्री पीरूमल जाति खत्री निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

दावा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955


  
उपखण्डाधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज०

-: पर्चा डिक्री :-

वादीगण की ओर से, श्री जगन्नाथ यादव एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.03.2021 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:-

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 1582 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजी में से प्रतिवादीगण असल संख्या 01 लगायत 06 को उनके हिस्से आई आराजी की हद से अतिरिक्त रकबे पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे एवं सदैव सदैव के लिए हु0 ई0 दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से आराजी कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले। पाबन्द रहे। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(रामसिंह राजावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0